—: न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.), नागौर :—

बइजलास श्रीमती प्रतिष्ठा पिलानिया आर.ए.एस

राजस्व वाद 33 / 2014

वादी	बनाम	प्रतिवादी
मुन्छीराम पुत्र जगन्नाथ जाति राव निवासी कुम्हारी दरवाजा के अन्दर नागौर।		1. मनुड़ाराम पुत्र नेनाराम जाति सांसी निवासी ताऊसर तहसील व जिला नागौर 2. मुन्नीराम पुत्र घासीराम जाति नायक निवासी ढीगसरा तहसील खींवसर जिला नागौर 3. ओमप्रकाश पुत्र केवलराम निवासी पांचलासिद्धा तहसील खींवसर जिला नागौर 4. अजीत पुत्र किरताराम जाति नायक निवासी ढीगसरा तहसील खींवसर जिला नागौर 5. उप पंजीयक नागौर 6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नागौर

उपस्थित अधिवक्ता :— वादी श्री बाबूलाल खोजा
प्रतिवादी श्री मेघराज सोनी

वाद पत्र वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा
आवेदन पत्र अधीन आदेश 7 नियम 11 सीपीसी 1908

आदेश

दिनांक :— 18.01.2016

प्रतिवादी की ओर निम्न वाद पत्र प्रस्तुत कर इशतदुआ की कि :—

1 यह है कि, वादी ने उक्त मूल वाद व अस्थाई निषेधाज्ञा का वाद पत्र तथाकथित अनुबंध वास्ते विक्रय दिनांक 29.10.2012 के आधार पर ग्राम सिंघाणी के खसरा नम्बर 22 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा की खातेदारी की घोषणा व ताफैसला वाद अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु पेश किया है।

2. यह है कि, तथाकथित अनुबंध वास्ते विक्रय दिनांक 29.10.2012 से उसमें वर्णित खेत ग्राम सिंघाणी के खसरा नम्बर 22 की खातेदारी का हस्तान्तरण वादी को नही होता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 में ऐसा कोई प्रावधान नही है जिसके तहत विक्रय हेतु अनुबंध के आधार पर किसी को खातेदारी दे दी जाये या खातेदारी की घोषणा उसके पक्ष में कर दी जाये। राजस्थान उच्च न्यायालय एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णित न्याय सिद्धान्तो द्वारा स्थिति स्पष्ट है कि विक्रय हेतु अनुबंध या पॉवर ऑफ एटार्नी से किसी व्यक्ति के अधिकार दूसरे

E:\important document\document\ Reader/Court file.doc

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) नागौर

व्यक्ति के पक्ष में हस्तान्तरित नही होते है इसलिए उपरोक्त परिस्थितियो में वादी को कथित इकरारनामा दिनांक 29.10.2012 के आधार पर ग्राम सिंघाणी के खसरा नम्बर 22 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा की खातेदारी घोषित कराने का बिनायवाद ही उत्पन्न नही होता है। वाद व प्रार्थना पत्र के अभिवचनो के अनुसार भी विधिनुसार वादी को प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध खातेदारी अधिकारो की घोषणा का बिनायवाद पैदा नही होता है बिनायवाद के अभाव में प्रतिवादी के विरूद्ध वादी का वाद व प्रार्थना पत्र वर्जित है व निरस्त होने योग्य है।

3. यह है कि, उक्त कथित इकरारनामा दिनांक 29.10.2012 प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा कभी भी निष्पादित नही किया गया उक्त कथित इकरारनामा कूटरचित है, अपर्याप्त मुद्रांक पर है, इसका पंजीयन होना आवश्यक है जो अपंजीकृत है इस कथित इकरारनामा में वर्णित कोई सौदा प्रतिवादी ने वादी के साथ नही किया न कोई राशि प्राप्त की, उक्त खेत पर वादी का न तो कभी कब्जा था न है सभी तथा असत्य कथन किये है। वादी को प्रतिवादी संख्या 1 या अन्य प्रतिवादीगण के विरूद्ध बिनायवाद पैदा नही होती है।
4. यह है कि, उक्त कथित इकरारनामा दिनांक 29.10.2012 के आधार पर वादी को केवल उसकी विशिष्ट अनुपालना कराने का वाद सक्षम सिविल न्यायालय में करने का ही बिनायवाद पैदा होता है जो आज तक नही किया है माननीय न्यायालय हाजा को विक्रय हेतु अनुबंध के आधार पर उसकी विशिष्ट पालना में किसी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार देने या उसके पक्ष में घोषित करने का श्रवणाधिकार नही है इस तरह का वाद व अस्थाई निषेधाज्ञा का वाद पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 के किसी भी प्रावधान के तहत पोषणीय नही है।
5. यह है कि, वाद व वाद पत्र में वर्णित कथनानुसार वादीगण का वाद बिना बिनायवाद के है जो विधिनुसार वर्जित है न्यायालय हाजा के अधिकार क्षेत्र का नही है सिविल न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का है इसलिए इसी स्टेज पर आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत वाद व प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

वादी का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी जरिये सम्मन तलब किये गये। अप्रार्थी मुनडा की ओर निम्न प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर इस्तदुआ की कि :–

1. यह है कि, आवेदन पत्र की मद संख्या 1 सही है।
2. यह है कि, आवेदन पत्र की मद संख्या 2 में दर्ज तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। क्योकि खसरा नम्बर 22 प्रार्थी द्वारा विधिवत रूप से खरीद सुदा है और प्रतिवादी ने अपने खातेदारी खेत का वादी से प्रतिफल की राशि प्राप्त कर बेचान किया है व कब्जा वादी को सोपा गया है। जिससे मौके पर आज दिन कब्जा काश्त प्रार्थी का रहता चला आया है। उक्त भूमि वादी द्वारा खरीदसुदा व कब्जा सुद होना साबित करने के लिए आवेदन के साथ प्रतिवादी द्वारा वादी के पक्ष में निष्पादित किया हुआ इकरारनामा पेश किया हुआ है और वादी अपनी खरीद सुदा व कब्जा सुदा भूमि की खातेदारी घोषित करवाने का व सुरक्षित रखने का कानूनी रूप से अधिकारी है। विधि में प्रावधानो के माफिक आवेदन पेश किया है। वादी द्वारा खरीदसुदा व कब्जा सुद भूमि का प्रतिवादी द्वारा अन्य किसी व्यक्ति के पक्ष में बेचान करने व वादी को मौके पर बेदखल करने की धमकियां देने से

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) नागौर

आवेदन/वाद उत्पन्न हुआ है। इसलिए वादी का आवेदन पत्र किसी भी तरह से वर्जित नही है जबकि विधि के प्रावधानो के माफिक है और प्रतिवादी ने वादग्रस्त भूमि का बेचान कर प्रतिफल की राशि प्राप्त कर कब्जा सौप दिया गया है ऐसी स्थिति में प्रतिवादी का वाद पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

3. यह है कि, आवेदन पत्र की मद संख्या 3 में गलत होने से अस्वीकार है। क्योकि प्रतिवादी ने वादी के पक्ष में दिनांक 29.10.2012 को इकरारनामा निष्पादित किया गया है और प्रतिफल की राशि प्राप्त कर कब्जा काश्त सोपा गया था जो कब्जा आज दिन मौके पर वादी का रहता चला आया है। इकरारनामा किसी भी तरह से कूटरचित नही है। अगर कूटरचित होता तो फौजदारी मुकदमा दर्ज करवाया जो सकता था जो आज दिन तक दर्ज नही करवाया गया है। ऐसी स्थिति में कूटरचित दस्तावेज नही कहा जा सकता और इकरारनामा पंजीयन होना आवश्यक नही है। बल्कि प्रतिवादी ने वादी की खरीद सुदा सम्पति से वंचित रखने की गरज से व प्रतिफल की राशि हडपने की नीयत से सारे झूठ व बनावटी कथन दर्ज किये है जो सारे कथन वाद में तनकियति कायम होने से वाद साक्ष्य मेरिट पर तय होने वाले तथ्य है। ऐसी स्थिति इस स्टेज पर वादी का आवेदन खारिज नही किया जा सकता। क्योकि आदेश नियम 11 सीपीसी के प्रावधानो बहुत सीमित है।

4 यह है कि, आवेदन पत्र की मद संख्या 4 में दर्ज तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। क्योकि विवादित भूमि कृषि भूमि है जो वादी के द्वारा खरीद सुदा कब्जासुद होना इकरारनामा से प्रमाणित है। खरीद सुदा व कब्जा सुद कृषि भूमि की खातेदारी घोषित करने का क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है। ऐसी स्थिति में वादी द्वारा प्रस्तुत किया गया आवेदन विधि के किसी भी प्रावधानो के खिलाफ नही है जिससे प्रतिवादी का आवेदन पत्र खारिज होने योग्य है।

5 यह है कि, आवेदन पत्र की मद संख्या 5 गलत होने से अस्वीकार है। क्योकि वादी का आवेदन कृषि भूमि की खातेदारी के संबंध में है। जिससे माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है और वाद हेतु के वादी ने अपने वाद पत्र में वर्णित किया गया है। इसलिए प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के प्रावधान लागू नही होते है जिससे वाद पत्र खारिज होने योग्य है।

बहस वकुलाय सुनी गई। प्रतिवादी संख्या 1 के वकील ने अपनी बहस के समर्थन में 2012 (1) WLC (SC) Page 43 प्रस्तुत किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादग्रस्त खेत खसरा नम्बर 22 मौजा सिंघाणी प्रतिवादी मनुडा वगैरा की खातेदारी में रेकर्ड से साबित होता है। वादी ने उक्त वाद पत्र एक लिखित एवं बिना पंजीयन किये इकरारनामे के आधार पर वाद पत्र प्रस्तुत किया है। वादी के अभिवचनो के अनुसार विधि अनुसार वादी को प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध खातेदारी अधिकारो की घोषणा का बिनायवाद पैदा नही होता है। वादी का वाद बिनायवाद के है। जो विधि अनुसार वर्जित है। वादी ने उक्त वाद पत्र कथित इकरारनामा के आधार पर खातेदारी हक एवं अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया है। जो बार्ड बाई लॉ है। वादी ने एक दीवानी विविध प्रकरण 34/2014 ओमप्रकाश बनाम बनुडा का मुंशीप न्यायालय नागौर में प्रस्तुत किया। जो दिनांक 19.04.2014 को वादी का अन्तमि अस्थाई निषेधाज्ञा का वाद पत्र भी खारिज कर दिया था। उपरोक्त विवेचन से वाद का वाद पत्र बार्ड बाई ला विधि

विरूद्ध है।

उपरोक्त विवेचन से प्रतिवादी संख्या 1 का आवेदन पत्र अधीन आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का स्वीकार किया जाता है एवं वादी का वाद अधीन धारा 88, 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट का खारिज किया जाता है। इसी अनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) नागौर

आदेश आज दिनांक 18.01.2016 को मेरे लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) नागौर

–: न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.), नागौर :–

बइजलास श्रीमती प्रतिष्ठा पिलानिया आर.ए.एस

राजस्व वाद 33 / 2014

वादी	बनाम	प्रतिवादी
मुन्छीराम पुत्र जगन्नाथ जाति राव निवासी कुम्हारी दरवाजा के अन्दर नागौर।		1. मनुड़ाराम पुत्र नेनाराम जाति सांसी निवासी ताऊसर तहसील व जिला नागौर 2. मुन्नीराम पुत्र घासीराम जाति नायक निवासी ढीगसरा तहसील खींवसर जिला नागौर 3. ओमप्रकाश पुत्र केवलराम निवासी पांचलासिद्धा तहसील खींवसर जिला नागौर 4. अजीत पुत्र किरताराम जाति नायक निवासी ढीगसरा तहसील खींवसर जिला नागौर 5. उप पंजीयक नागौर 6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नागौर

राजस्व वाद 33 / 2014 सन् 2016

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू ....व हाजरी..मिनजानिब मुद्दई व ....मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है प्रतिवादी संख्या 1 का आवेदन पत्र अधीन आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का स्वीकार किया जाता है एवं वादी का वाद अधीन धारा 88, 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट का खारिज किया जाता है।

दस्तखत सहायक कलक्टर

ओहदा (एस.डी.ओ.) नागौर

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुद्दयला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह साबूत			मेहनताना वकील		
मेहनताना वकील			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमीशनर		
फीस कमीश्नर			बाबत् इजसय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मीजान			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक			मिजान		

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) नागौर